निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 भाद्र 1932 (श0)

(सं0 पटना 644) पटना, बुधवार, 1 सितम्बर 2010

पथ निर्माण विभाग

————————

अधिसूचना

30 अगस्त 2010

सं0 निग/विरा–3–29/95–12925(एस)—श्री राम सुरेश तिवारी, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, सिविल लाइन सासाराम, पो0+थाना–सासाराम, जिला–रोहतास के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या–033/93 दिनांक 22 नवम्बर 1993 धारा–5 (2) पठित धारा–5 (1) (ई0) भ्र0नि0अधि0 1947 परिवर्तित 13 (2) पठित 13 (1) (ई0) भ्र0नि0अधि0 1988 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस मामले में विधि विभाग के आदेश संख्या 3327, दिनांक 02 सितम्बर 1997 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. श्री तिवारी के दिनांक 31 जुलाई 2008 को सेवा–निवृत्त होने के उपरांत विभागीय आदेश ज्ञापांक 12076(एस) दिनांक 17 सितम्बर 2008 द्वारा उन्हें शत–प्रतिशत पेंशन/उपादान की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. निगरानी विभाग, अन्वेषण ब्यूरों के पत्रांक 7336, दिनांक 20 जुलाई 2009 द्वारा यह जानकारी दी गयी कि निगरानी थाना कांड संख्या–33/93 विशेष वाद संख्या–45/93 सरकार बनाम श्री राम सुरेश तिवारी मामले के अभियुक्त श्री राम सुरेश तिवारी, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना को माननीय विशेष न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश में ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पाते हुए धारा–5 (2)–सह–पठित धारा– 5 (1) (ई0) पी0सी0 एक्ट 1947 एवं धारा–13 (2)–सह–पठित धारा–13 (1) (ई0) पी0सी0 एक्ट 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत तीन वर्षों की सश्रम कारावास एवं 10,000.00 (दस हजार) रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

4. निगरानी विभाग के पत्रांक–1046 अनु0 दिनांक 27 मार्च 2009 द्वारा यह संसूचित है कि ऐसे मामले, जिसमें सरकारी सेवक को भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 के अधीन दोष सिद्ध ठहराते हुए दण्ड दिया गया है, पेंशन को अवरूद्ध करने की कार्रवाई की जाय। तद आलोक में उक्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–8108 (एस) दिनांक 01 जून 2010 द्वारा श्री तिवारी से उनके स्वीकृत पेंशन को अवरूद्ध किये जाने के संबंध में कारण पृच्छा की गई।

5. श्री तिवारी के पत्रांक–शून्य दिनांक 25 जून 2010 द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में मुख्य रूप से माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी–1 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा दायर क्रिमीनल अपील सं0– 536/2009 को सुनवाई हेतु स्वीकार किये जाने तथा इस कारण निचली अदालत द्वारा दिये गये फैसले के निरंतरता में रहने, औपबंधिक जमानत को सम्पुष्ट किये जाने दिनांक 23 अगस्त 1963 के परिपत्र एवं

मानवीय आधार पर पेंशन को अवरूद्ध नहीं करने एवं आवश्यक समझे जाने पर उनके मामले में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया। श्री तिवारी द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा के समीक्षोपरांत इस प्रकरण पर विधि विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया।

6. विधि विभाग से प्राप्त मंतव्य में निगरानी विभाग के पत्रांक 1046, दिनांक 27 मार्च 2009 के आलोक में श्री तिवारी के पेंशन को अवरूद्ध किये जाने पर सहमति दी गई।

7. अतएव सम्यक रूप से विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री राम सुरेश तिवारी सेवा निवृत्त सहायक अभियंता के स्वीकृत पेंशन को अवरूद्ध किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 644-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in